संपादकीय

क्या कहें क्या न कहें

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब न केवल निचली बल्कि कई ऊपर की अदालतों में भी यौन उत्पीड़न को लेकर हल्का रुख देखने को मिला है। ऐसे मामलों में जजों के फैसलों तथा टिप्पणियों को लेकर समाज के संवेदनशील हलकों में तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की गई... सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर की अदालतों के लिए यौन हिंसा से जुड़े मामलों में खास एहतियात बरतने के ऐतिहासिक निर्देश जारी किए। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी जज यौन उत्पीड़न से जुड़े किसी मामले की सुनवाई करते हुए न तो किसी तरह की महिला विरोधी टिप्पणी करे और न ही दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले में दिया जिसमें हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी थी कि वह पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब न केवल निचली बल्कि कई ऊपर की अदालतों में भी यौन उत्पीड़न को लेकर हल्का रुख देखने को मिला है। ऐसे मामलों में जजों के फैसलों तथा टिप्पणियों को लेकर समाज के संवेदनशील हलकों में तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की गई, साथ ही न्यायपालिका के एक हिस्से की सोच पर सवाल भी उठे। न्याय के आसन से परे हटकर समाज के अन्य जिम्मेदार हिस्सों की ओर देखें तो ऐसे बयान थोक में मिल जाते हैं जिनमें महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर चरित्र प्रमाणपत्र बांटने की हड़बड़ी नजर आती है। हालांकि भारत जैसे तेजी से बदलते समाज में महिलाओं को लेकर परस्पर विरोधी धारणाओं का मौजूद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हजारों साल की पितृसत्ता से उबरने में अमेरिका और यूरोपीय देशों को कई शताब्दियां लग गईं, जबकि भारत में आजादी मिलने के ढाई साल के अंदर महिलाओं को सारे अधिकार देने वाला संविधान लागू हो गया। स्वतंत्रता और समानता के इस संविधान प्रदत्त परिवेश में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे तो खुले, लेकिन परिवार और समाज के ढांचों में बदलाव की वह प्रक्रिया, जिसका काम उन्हें बराबर के इंसान के रूप में देखना संभव बनाना था, हमारे यहां काफी धीमी गति से आगे बढ़ी। नतीजा यह कि महिलाएं पढ़-लिखकर अलग-अलग पेशों में ऊंचे ओहदों पर पहुंचती गईं, लेकिन समाज उनके बारे में दकियानूसी ढंग से ही सोचता रहा। यह सोच कभी किसी नेता के बयान, कभी किसी अफसर की हरकत और कभी किसी जज की टिप्पणी के रूप में सामने आकर देश को शर्मसार करती रहती है। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा निर्देश में उन वाक्यांशों के उदाहरण भी दिए हैं जो अदालती फैसलों में अक्सर स्थान पाते हैं और जिनसे आगे बचना जरूरी है। महिलाएं शारीरिक तौर पर कमजोर होती हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है से लेकर मातृत्व हर महिला का कर्तव्य है, पुरुष घर के मुखिया होते हैं और महिलाएं भावुक होती हैं इसलिए अक्सर ओवर रिएक्ट करती हैं तक ऐसा हर वाक्यांश पितृसत्तात्मक सोच की पूरी कहानी बयान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भले सिर्फ जजों के लिए जारी किया हो, यह पूरे समाज के लिए दिशानिर्देश का काम करेगा।

पिघलना भारत-पाक रिश्तों पर जमी बर्फ का

विश्लेषण

पुष्परंजन

पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन से हैरान मत होइये। सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डॉयलाग में कहा कि जो कुछ भारत-पाक के बीच हुआ, उसे दफन कीजिए और अब आगे की सुध लेते हैं। पाक जनरल ने कहा कि कश्मीर में अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं। जनरल बाजवा का बयान था कि भारत-पाक के संबंध स्थिर होते हैं तो दक्षिण-पश्चिम और सेंट्रल एशिया से हमारी खुशहाली के द्वार खुलेंगे। पाकिस्तान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कश्मीर को दिये विशेषाधिकार को निरस्त किये जाने के विरुद्ध जिस तरह वह संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रख गया था, उसे वापस लेना है या नहीं? 5 अगस्त, 2019 को वह काले दिवस के रूप में मनाने लगा है। पाकिस्तान की मांग है कि जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दोबारा से बहाल किया जाए।

9 अगस्त, 2019 को पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध सस्पेंड किये थे। अब भारत से संबंध पटरी पर लाने के वास्ते उसे दोबारा से व्यापारिक संबंध बहाल करने होंगे। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में दिये प्रस्ताव की वापसी और उभयपक्षीय व्यापार की बहाली, ये दोनों आरंभिक क़दम पाकिस्तान को ही उठाने होंगे। इनके बिना 'मिनिंगफुल डॉयलाग' मानीखेज़ नहीं रह जाते हैं। उससे एक दिन पहले, बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इसी मंच पर बयान दिया कि भारत को शांति के वास्ते आगे बढ़ना चाहिए, वो एक क़दम आगे बढ़ेंगे, हम दो क़दम बढ़ेंगे। इमरान ख़ान ने ताशकंद से पेशावर वाया काबुल 573 किलोमीटर रेल परियोजना को रेखांकित किया। उनका कहना था कि भारत से संबंध सामान्य होते हैं तो सेंट्रल एशिया से दोनों देश ज़मीनी स्तर पर जुड़ेंगे।

पाकिस्तान ने बर्फ पिघलाने की शुरुआत पिछले महीने डीजीसीएमओ की बैठक से की है। आमतौर पर ऐसी बैठकें ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों के जरिये निपट जाया करती थीं। मगर, 24-25 फरवरी, 2021 को हुई बैठक में भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांधा और पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल नौमान ज़कारिया ने हिस्सा लिया था। इससे पहले संसद में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि 2020 में पाकिस्तान ने 5 हज़ार 133 बार सीज़फायर का उल्लंघन किया था, जिसमें हमारे 46 लोग मारे गये थे। 28 जनवरी, 2021 तक पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन किया था, जिसमें एक की मौत हुई थी। डीजीसीएमओ की बैठक में यही प्रमुख विषय होता है। बल्कि यों कहें कि शांति बहाली की शुरुआत यहीं से होती है। इस बैठक की वजह से दोनों तरफ सकारात्मक संदेश गये।

मगर, जो कुछ प्रगति हो रही है, उसके पीछे सिर्फ़ डीजीसीएमओ बैठक है, या फिर भारत-पाक के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी की शुरुआत फिर से हुई है? करतारपुर साहब कूटनीति को कुछ समय के लिए लोगों ने माना था कि दोनों तरफ संवाद का सिलसिला शुरू है। नवंबर, 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती थी। पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस जयंती के वास्ते प्रस्ताव पास किया, इधर 22 नवंबर, 2018 को मोदी कैबिनेट ने भी इस जयंती को ग्लोबल लेवल पर मनाने का प्रस्ताव पास किया था। उस समय क्या दोनों तरफ इसकी कोशिश हो रही थी कि देव नीति के बहाने कूटनीति की बर्फ को पिघलाया जाये? तब कुछ लोगों को शक था कि पाकिस्तान करतारपुर में दुनियाभर से सिखों का जुटा कर खालिस्तान के वास्ते जनमत संग्रह प्रस्ताव पास करा सकता है। मगर, ऐसा कुछ हुआ नहीं।

उन दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह बयान दे चुके थे कि पंजाब में अतिवादियों के 19 मॉड्यूल अब तक पकड़े जा चुके हैं। इनमें दो मॉड्यूल ऐसे थे, जिनमें कश्मीरी छात्र थे। एक बात तो ध्यान में रखनी है, चाहे दोनों तरफ जितना भी प्यार-मुहब्बत झलके, कश्मीर और पंजाब भारत-पाक डिप्लोमेसी का ज़मीनी हिस्सा बना रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर से पंजाब तक अपनी कुटिल चाल से बाज़ नहीं आने वाला। पाकिस्तान की इन कुटिल चालों की वजह से ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बार-बार भ्रूण हत्या होती रही है।

याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी ऐतिहासिक बस यात्रा से लाहौर गये, उसके कुछ दिन बाद 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। 2011 में भारत-पाक क्रिकेट मैच के अवसर पर मोहाली में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके समकक्ष यूसुफ रज़ा गिलानी बगलगीर हुए और उसके प्रकारांतर सीमा पार आतंकवाद में तेज़ी आ गई। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी काबुल से लौटते हुए लाहौर गये, नवाज़ शरीफ से निजी रिश्तों को मज़बूत करने का प्रयास किया। उसके अगले साल सितंबर, 2016 में उड़ी में और 2019 में पुलवामा जैसा भयावह कांड करा दिया। उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए भारत को विवश करना पड़ा। पाकिस्तान वालों के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक की टीस उठती है तो उन्हें उसके कारण की समीक्षा करनी चाहिए।

पाकिस्तान बीच-बीच में भारत को चिकोटी काटने की बचकानी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा। 24-25 फरवरी, 2021 को एक तरफ डीजीसीएमओ की बैठक हो रही है, दूसरी ओर जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवाधिकार हनन की शिकायतों का पुलिंदा पड़ा हुआ था। उस दिन भारतीय परमानेंट मिशन की सेकेंड सेक्रेट्री सीमा पुजानी, पाकिस्तान को तुर्की-ब-तुर्की जवाब दे रही थीं। यूएन मानवाधिकार परिषद की 46वीं बैठक में पाक डिप्लोमेट शीरीन मज़ारी ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया था। मगर, जब शिया, हज़ारा, अहमदिया पर किये अत्याचार के हवाले से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी गई तो मोहतरमा शीरीन मज़ारी बगलें झांकती मिलीं। मतलब, आप भारत से संबंध को पटरी पर लाना चाहते हो और अपनी दुष्ट चालों को छोड़ना भी नहीं चाहते।

कूटनीति की कुटिल चालों को एक तरफ करें तो पाकिस्तानी अवाम में बहुसंख्यक की इच्छा संबंधों को सामान्य करने की रही है। एक छोटा-सा उदाहरण इंस्टाग्राम पर मशहूर पाक युवा दानानीर मोबिन का देना चाहूंगा, जिन्होंने 15 फरवरी, 2021 को पांच सेकेंड का 'ये हमारी पावरी हो रही है' वीडियो क्लिप को अपलोड किया था। इसे दोनों मुल्कों के युवाओं ने शेयर किया था। नफरत के यदि दर्जनों उदाहरण हैं, तो प्यार बांटने की सैकड़ों मिसालें दोनों मुल्कों का सोशल मीडिया दरपेश कर रहा है।

वर्ल्ड बैंक की सितंबर, 2018 में रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया कि कुछ बाधाएं हटा दी जाएं तो इस समय दो अरब डॉलर के व्यापार को भारत-पाकिस्तान 37 अरब डॉलर की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। व्यापार की बेचैनी 'नया पाकिस्तान' को भी है, और इधर भारतीय उद्योग-व्यापार जगत भी ऐसा ही चाहता है। मार्च, 2019 में गुजरात और महाराष्ट्र का 52 सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल पाकिस्तान गया था। अब यह सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है!

खुद अपने अंदर झांक कर प्रसन्नता पाना

अर्जुनराम मेघवाल
राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय

20 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। पिछले साल इस दिन दुनिया भर में मानवता असमंजस में थी क्योंकि कोविड-19 महामारी सिर पर मंडरा रही थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, जिसके दुखद अनुभव ने मानवीय विवेक को पूरी तरह हिला कर रख दिया, चरम पर पहुँच कर अब नीचे आ रही है। ऐसे समय में जब कि मानवता इस वैश्विक संकट का मिल कर सामना कर रही है तब इस साल का 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस' खुद को तथा औरों को संभालने और सकारात्मक तरीके से आगे का रास्ता खोजने का एक मौका देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम उपयुक्त ही है शांत रहें, समझदार बनें, दयालुता रखें'। यह थीम सीखने, सीखा हुआ भूलने तथा फिर से नया सीखने के लिए हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी से हम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं।

दुनिया अभी अभूतपूर्व चुनौतियों का मुक़ाबला कर रही है, जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद। इनके साथ अब मानवता की भलाई की चुनौती और खड़ी हो गई है जो अन्य सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इन चुनौतियों का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही सहभागी योजनाओं का वे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समावेशी, संतुलित तथा न्यायसंगत दृष्टिकोण वाले आर्थिक विकास की जरूरत महसूस की जा रही है जिससे सतत विकास और गरीबी उन्मूलन हो सके और सभी को खुशी तथा सब की भलाई को बढ़ावा मिल सके। विश्व भर में लोगों के जीवन में खुशी और कल्याण के सार्वभौमिक लक्ष्य और आकांक्षाओं की प्रासंगिकता को पहचानते हुए तथा सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों में उनकी मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने 66 वें सत्र के दौरान, 12 जुलाई 2012 को 66/281वें प्रस्ताव के जरिये 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। प्रसन्नता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च 2013 को आयोजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के हैप्पीनेस इंडेक्स में उदारता, भ्रष्टाचार की अवधारणा, प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन का अनुमान, जीवन में चयन की स्वतंत्रता आदि जैसे संकेतकों के आधार पर देशों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। उदात्त मूल्यों और संस्कृति के हमारे इतने बड़े भंडार, जो आंतरिक प्रतिबिंबों के माध्यम से सभी प्राणियों के लिए खुशी और भलाई को बढ़ावा देते हैं, के बावजूद भारत के प्रदर्शन के बारे में सरोकार रखना चाहिए। जरूरत है कि यह अवस्था हमारे सामाजिक और वैश्विक बेहतरी के लिए हमारे विचारों और कार्यों के बीच गंभीरता से समन्वय स्थापित करे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर से नीचे वाले तरीके से वैश्विक दृष्टिकोण हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण से ऐसा करना संभव है जो व्यक्ति के खुद अंदर से आना चाहिए। प्रसन्नता के व्यक्तिवादी बोध से चरित्र की सुंदरता वाले एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण होगा, जिससे एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल समाज बनेगा, और इसकी खुशबू राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाएगी और एक न्यायप्रिय दुनिया बनाने के लिए असमानताओं को कम किया जा सकेगा और सभी के लिये बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

भारतीय महाकाव्यों और पुराणों में प्रसन्नता के संदर्भ में कई शिक्षाएं मिलती हैं। भागवत गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा गया है- सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ।अभ्यासाद्रमते यत्र दु:खान्तं च निगच्छति।। इसका अर्थ है, यदि मन खुश है, तो पूरी दुनिया (लगता है) खुश है। यदि मन निराश है, तो पूरी दुनिया (प्रतीत होता है) निराश है। अत: यदि आप खुशी चाहते हैं, तो पहले मन की खुशी पाने का प्रयास करें।

प्रसन्नता व्यक्तिगत स्तर पर आत्म-चेतना की एक विशुद्ध आंतरिक और अमूर्त भावना है, लेकिन इसकी अनुभूतियों की तरंगें बाहर सामूहिक रूप से सभी के कल्याण के सुसंगत परिवेश का निर्माण करती हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वह खुशी का स्रोत बन जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक संपर्क और अनुभवों के माध्यम से खुशी प्राप्त की जा सकती है। यह संपर्क और अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। डोपामाइन- जिसे पुरस्कार रसायन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन- प्रेम का हार्मोन, सेरोटोनिन- मूड को स्थिर रखने वाला हार्मोन और एंडोर्फिन- दर्द निवारक हार्मोन आदि प्रसन्नता की शाश्वत भावना के दूत कहे जा सकते हैं। खुशी कोई विशेष इकाई नहीं है; यह विभिन्न घटनाओं, कार्यों और परिणामों की परिणति है। सरकारें, गैर सरकारी संगठन, उद्योग, सामाजिक संगठन और प्रशासनिक मशीनरी असीमित या परोक्ष रूप से व्यक्तियों और उनकी सामूहिक खुशी को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने, दलितों के उत्थान, बेहतर बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से नागरिकों की खुशहाली में सीधे सुधार होता है। दूसरी तरफ, फिट-इंडिया अभियान, खेलो भारत, प्रधान मंत्री की परीक्षा पर चर्चा आदि, नागरिकों के लिए तनाव घटाने और उनके स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता के उपाय बनते हैं। विभिन्न शैक्षिक संस्थान, मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, प्रबंधन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सिग्नल प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विषयों को एक साथ लाकर सार्थक जीवन, सुख, भलाई और समग्र आत्म विकास के लिए सकारात्मकता के विज्ञान और अभ्यास को बढ़ावा देने के उपायों को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं।

तकनीकी रूप से आपस में जुड़ी दुनिया में, उपभोक्तावाद, बाजार की ताकतें और भौतिक वस्तुओं का लगाव जो खुशी देते हैं वह सतही और अल्पकालिक होती है। हम सभी को ऐसी खुशी पाने की चाह की बजाय अपनी इच्छाओं को सीमित करके खुशी की तलाश करना सीखना चाहिए। उपभोक्तावादी दृष्टिकोण की जगह न्यूनतमवादी दृष्टिकोण अपनाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरती की स्थिरता सतत बनाए रखने में मदद करेगा। भौतिक वस्तुओं को खरीदने की बजाय, हमें अच्छे अनुभव पाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे समाज को अवसाद, आत्महत्याओं, मानव तस्करी और अन्य बुरे इरादों की प्रवृत्तियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

अंत में कह सकते हैं कि खुशी अपने अंदर बहुत ही व्यक्तिपरक होती है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के उसके स्वभाव के अनुरूप अलग-अलग पैरामीटर होते हैं। परंतु यह वस्तुपरक तरीके से देखने की चीज है जिससे व्यक्ति के अपने घेरे में उसके विचारों और क्रियाओं से प्रसन्नता पाई जा सकती है। ये व्यक्तिगत घेरों के अंतर-संबंध बेहतर न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर आइये हम आंतरिक रूप से यह निर्णय लें कि कोई भी कभी भी जब हम से विदा ले तब वह बेहतर और खुशहाल हो कर जाये और हमारी सामूहिक बुद्धि हमें इस बात के लिए साथ मिलकर काम करने की ताकत दे ताकि :

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:खभाग् भवे:।।

आजकल

संपत्ति क्षति वसूली

निस्संदेह, लोकतंत्र में अपनी आवाज सत्ताधीशों तक पहुंचाने में आंदोलनों की निर्णायक भूमिका होती है। जब सत्ताधीश जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करते तो क्षुब्ध नागरिक विरोध प्रदर्शन के विभिन्न माध्यमों से सरकारों व प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाये गये निर्णायक आंदोलनों ने ही फिरंगियों को देश छोड़ने को बाध्य किया था। लेकिन यदि आंदोलन के नाम पर निजी व सरकारी संपत्ति को सुनियोजित तरीके से क्षति पहुंचायी जाती है तो इन्हें लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता। नागरिकों व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलनों के नेतृत्व की जवाबदेही तय करनी जरूरी भी है। अन्यथा आये दिन होने वाले आंदोलनों से समाज व सरकार की संपत्ति को नुकसान का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। हाल के वर्षों में हरियाणा में एक धार्मिक गुरु के समर्थकों तथा जातीय अस्मिता के एक आंदोलन ने करोड़ों रुपये की निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।शायद इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पारित कर दिया, जिसमें उपद्रवियों से भारी-भरकम जुर्माने व जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस विधेयक को पारित करने में विपक्षी कांग्रेस के तीखे विरोध का सामना सरकार को करना पड़ा। विपक्ष की दलील है कि सरकार ये कानून किसान आंदोलन के चलते ला रही है। निस्संदेह राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून अस्तित्व में आ ही जायेगा। उल्लेखनीय है कि सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव में सरकारी व निजी संपत्ति को हुई भारी क्षति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त रवैया दिखाया था। बाकायदा उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गये थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति क्षति की वसूली का कानून लेकर आई थी, जिसके अध्ययन के बाद खट्टर सरकार यह विधेयक लाई, जो उत्तर प्रदेश के कानून के मुकाबले ज्यादा सख्त होगा। यही वजह है कि विपक्षी दल इस विधेयक को लोकतांत्रिक आंदोलन के विरोध में उठाया गया कदम बताकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल, हरियाणा के संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 में कुछ सख्त प्रावधान शामिल किये गये हैं। अब आंदोलन करने वाले नेता यह दलील नहीं दे सकेंगे कि उनका आंदोलन तो शांतिपूर्ण था और बाहरी तत्वों ने हिंसा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

बदहाली के स्कूल

विडंबना

फीचर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में स्कूलों में निर्धारित मानकों के तहत पेयजल और शौचालय की सुविधा सहित बुनियादी ढांचे की सभी चीजें अनिवार्य रूप से प्रदान करने की बात कही गई है। यह सुनिश्चित करना सभी सरकारों का दायित्व है। आजादी के सात दशक बाद भी अगर देश के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं तो यह अपने आप में सरकार की नीति-रीतियों पर एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा का मसला उसके सरोकारों में किस प्राथमिकता पर है। यों सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को लेकर पहले भी तमाम प्रश्न उठते रहे हैं और अक्सर सरकार इस समस्या को दूर करने का आश्वासन देती रही है। लेकिन आज भी हालत यह है कि देश के बयालीस हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जबकि पंद्रह हजार से अधिक स्कूलों में शौचालय भी नहीं है।

गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्सर आर्थिक चकाचौंध की तस्वीर के जरिए हर ओर विकास का जो दावा किया जा रहा है, उसके पीछे कौन-से सबसे जरूरी क्षेत्र को बदहाली के बीच छोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश भर में हर घर शौचालय को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए। मगर देश भर के हजारों सरकारी स्कूलों पर सरकार की निगाह क्यों नहीं पड़ी, जहां हर रोज सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं?

पिछले कुछ दशकों में ऐसे तमाम अध्ययन सामने आए, जिनमें यह बताया गया है कि सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का आकर्षण कम होने का कारण वहां पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिन स्कूलों में ये सुविधाएं होती भी हैं उनमें से ज्यादातर जगहों पर आमतौर पर साफ-सफाई की हालत यह होती है कि उसका उपयोग एक तरह का जोखिम ही होता है। खासतौर पर शौचालयों में पानी का अभाव उसके होने को बेमानी बना देता है। ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों की दशा-दिशा अगर दयनीय दिखती है तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। एक अहम तथ्य यह है कि स्कूलों में पेयजल और शौचालयों के अभाव का असर यों तो वहां पढ़ने वाले सभी बच्चों पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित बालिकाएं होती हैं। बल्कि बालिकाओं के स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के एक महत्त्वपूर्ण कारणों में स्कूलों में शौचालयों का नहीं होना भी पाया गया है। दूसरी ओर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में स्कूलों में निर्धारित मानकों के तहत पेयजल और शौचालय की सुविधा सहित बुनियादी ढांचे की सभी चीजें अनिवार्य रूप से प्रदान करने की बात कही गई है। यह सुनिश्चित करना सभी सरकारों का दायित्व है। लेकिन अगर अब भी इतनी बड़ी तादाद में सरकारी स्कूल इन बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सवाल है कि अगर स्कूलों में बुनियादी ढांचे के अभाव की इस तस्वीर की वजह से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बाधित होती है और इस तरह शिक्षा के अधिकार कानून का हनन होता है तो इसके कौन और किसके प्रति जवाबदेह होगा! विडंबना यह है कि एक ओर अर्थव्यवस्था के ऊंचे ग्राफ और बाजार की चकाचौंध का हवाला देकर देश के एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने की तस्वीर पेश की जाती है, दूसरी ओर ऐसे तमाम स्कूल हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।